स्वीकार

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 101/2019

अनवान :

रणसिह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. रावताराम पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गुड्डीदेवी पुत्री रावताराम पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल कुतियाना तहसील व जिला सिरसा।
4. कृष्णादेवी पुत्री रावताराम पत्नी कर्णसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल कुतियाना तहसील व जिला सिरसा।
5. रोशनी देवी पुत्री रावताराम पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल वार्ड नं0 25 नोहर।
6. इन्द्रावती पुत्री रावताराम पत्नी स्व. सुरेन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल वार्ड नं0 25 नोहर।
7. वर्षादेवी पुत्री रावताराम पत्नी रामप्रसाद जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल मोब्बतपुर तहसील व जिला हिसार।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 10.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा के रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 335/325 के खसरा सं0 230 की 20 किला नं0 3 बिस्वा, चक 6 जीजीएम के खाता सं0 34/27 के मु0नं0 89 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 की 8 बीघा नहरी 7 बिघा 15 बिस्वा, खाला 4 बिस्वा, रास्ता एक बिस्वा, चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44 के मु0नं0 89 के किला नं0 23, 24 मु0नं0 94 के किला नं0 3 ता 5 कुल 5 किता नहरी 4 किला 16 बिस्वा, रास्ता 2 बिस्वा, खाला 2 बिस्वा उपरोक्त आराजी लिखमाराम पुत्र गंगाराम की खातेदारी आराजी थी व संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि की आय से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खसरा नं0 397 की 4 किला 8 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रीद की है यह आराजी भी संयुक्त परिवार की सहदायिकी आराजी है। रोही जा मुन्सरी बारानी के खसरा नं0 400 की 36 बीघा बारानी खातेदारी कृषि भूमि खमाराम की हुआ करती थी।

वादीगण के मारूशाला लिखमाराम की मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज आराजी कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम से औद हो गई जो रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 बारानी कृषि भूमि इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 के मु0नं0 89 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 की कुल 2.024 है0, में से नहरी 1.961 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 गै0मु0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि एवं इसी अनुसार चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 के मु0नं0 89 के किला नं0 23, 24 मु0नं0 94 के किला नं0 3, 4, 5 कुल 1.265 है0 में से नहरी 1.214 है0 गै0मु0 रास्त 0.026 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0 कृषि भूमि एवं रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 के खसरा सं0 397 की 1.1130 है0, खसरा सं0 400 की 9.1050 है0 कुल 10.218 है0 बारानी कृषि भूमि रावताराम वल्द लिखमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी के दादा लिखमाराम की हुआ करती थी उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज हो गई। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी दादालाई सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 3 ता 7 की शादी अच्छे घरों में की है उनके भात छुछक सभी कर दिये गये है। उन्होने अपने हक व हिस्से की आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर रखा है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का आपस में पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। पारिवारिक बंटवारा अनुसार रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 प्रतिवादी सं0 1 के बंटवारा में आई है एवं शेष भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो चुके है और इसी अनुसार वादी घोषणा करवा पाने का मजाज कानूनी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी रणसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम करनपुरा बारानी सम्वत् 2054 से 57 प्रदर्श 1, 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6जीजीएम सम्वत् 2044 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी खाता सं0 304/273 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6जीजीएम सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, 6, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी गाम मुन्सरी बारानी खाता सं0 223/202 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी

10.6.19

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

खेवट खतौनी प्रदर्श 9, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी नामान्तरण रजिस्टर प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कॉपार्सनरी सम्पति है जिसमे प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का हक निहित है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने पारिवारिक सुख शांति को बरकरार रखे जाने के उद्देश्य से आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है जो संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम करनपुरा बारानी, मुन्सरी बारानी व चक 6जीजीएम के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा व बहस में वाद कृषि भूमि पैत्रक व कोपार्सनरी सम्पति होना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम करनपुरा बारानी सम्वत् 2054 से 57 प्रदर्श 1, 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 6जीजीएम सम्वत् 2044 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी खाता सं0 304/273 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6जीजीएम सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 5, 6, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी गाम मुन्सरी बारानी खाता सं0 223/202 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी प्रदर्श 9, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी नामान्तरण रजिस्टर प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने वाहमी बंटवारा अनुसार आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। मुताबिक पारिवारिक बंटवारा व राजीनामा के रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 प्रतिवादी सं0 1 रावताराम के हिस्सा में रखने व चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 की 2.024 है0 व इसी चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 की कुल 1. 265 है0 व रोही मौज मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 की कुल 10.218 है0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए सहमत है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 में रावताराम के वारिसान में दो पुत्र राजेन्द्रसिंह, रणसिंह व पांच पुत्रियां गुड्डी देवी, कृष्णा देवी, रोशनी देवी, इन्द्रावती, वर्षा देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है प्रतिवादिया सं0 3 ता 7 ने वाद भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दी है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 बारानी कृषि भूमि इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 के मु0नं0 89 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 की कुल 2.024 है0, में से नहरी 1.961 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 गै0मु0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि एवं इसी अनुसार चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 के मु0नं0 89 के किला नं0 23, 24 मु0नं0 94 के किला नं0 3, 4, 5 कुल

10.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

स्वीकार

1.265 है0 में से नहरी 1.214 है0 गै0मु0 रास्त 0.026 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0 कृषि भूमि एवं रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 के खसरा सं0 397 की 1.1130 है0, खसरा सं0 400 की 9.1050 है0 कुल 10.218 है0 बारानी कृषि भूमि रावताराम वल्द लिखमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादी सं0 1 रावताराम खातेदार काश्तकार है व चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 की 2.024 है0 व इसी चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 की कुल 1.265 है0 व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 की कुल 10.218 है0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 की 2.024 है0 व इसी चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 की कुल 1.265 है0 व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 की कुल 10.218 है0 कृषि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर व रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रावताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

10.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 101/2019

अनवान :

रणसिह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. रावताराम पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा ज़िला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. गुड्डीदेवी पुत्री रावताराम पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल कुतियाना तहसील व जिला सिरसा।
4. कृष्णादेवी पुत्री रावताराम पत्नी कर्णसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल कुतियाना तहसील व जिला सिरसा।
5. रोशनी देवी पुत्री रावताराम पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल वार्ड नं0 25 नोहर।
6. इन्द्रावती पुत्री रावताराम पत्नी स्व. सुरेन्द्र जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल वार्ड नं0 25 नोहर।
7. वर्षादेवी पुत्री रावताराम पत्नी रामप्रसाद जाति जाट निवासी मुन्सरी हाल मोब्बतपुर तहसील व जिला हिसार।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 7 श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 बारानी कृषि भूमि इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 के मु0नं0 89 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 की कुल 2.024 है0, में से नहरी 1.961 है0, गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 गै0मु0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि एवं इसी अनुसार चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 के मु0नं0 89 के किला नं0 23, 24 मु0नं0 94 के किला नं0 3, 4, 5 कुल 1.265 है0 में से नहरी 1.214 है0 गै0मु0 रास्ता 0.026 है0, गै0मु0 खाला 0.025 है0 कृषि भूमि एवं रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 के खसरा सं0 397 की 1.1130 है0, खसरा सं0 400 की 9.1050 है0 कुल 10.218 है0 बारानी कृषि भूमि रावताराम वल्द लिखमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 कृषि

10.6.12
सहायक अधिकारी (राजस्व)

स्वीकार

<u>रणसिंह बनाम रावताराम आदि पर्चा डिक्री</u>

भूमि का प्रतिवादी सं0 1 रावताराम खातेदार काश्तकार है व चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 की 2.024 है0 व इसी चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 की कुल 1.265 है0 व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 की कुल 10.218 है0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादियां सं0 3 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार चक 6 जीजीएम के खाता सं0 43/43 की 2.024 है0 व इसी चक 6 जीजीएम के खाता सं0 44/44 की कुल 1.265 है0 व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं0 223/202 की कुल 10.218 है0 कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर व रोही मौजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 304/273 के खसरा सं0 230 की 5.2230 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रावताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

10.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़